N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0295 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 18/12/2024 18:43 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 11/12/2024 **Date To (दिनांक तक):** 16/12/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:00 बजे **Time To (समय तक):** 15:45 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/12/2024 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 18/12/2024 18:43:38 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 5 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** PINK SQUARE MALL KE SAMNE, ADARSH NAGAR,JAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** VIKRAM GURJAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SHUSHPAL GURJAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1992 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	157, TEELA NO.01, MUKESH NAGAR JAWAHAR NAGAR, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	157, TEELA NO.01, MUKESH NAGAR JAWAHAR NAGAR, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RANVEER SINGH		पिता:RAMESHWAR LAL	1. 30,WARD NO.16,ASHUTOSH NAGAR,CHOMU,JAIPUR (WEST),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		20,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 20,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 11.12.2024 को परिवादी श्री विक्रम गुर्जर पुत्र श्री शुशपाल गुर्जर उम्र 32 साल निवासी मकान नम्बर 157, टीला नम्बर 01. मुकेश नगर, जवाहर नगर, जयपुर ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मैं विकम गुर्जर, मकान नम्बर 157, टीला नम्बर 01, मुकेश नगर, जवाहर नगर, जयपुर मैं और मेरे आस पड़ोस के और लोग भी दुध बेचने का व्यापार करते है और हमारे परिवार का दुध बेचने से गुजारा चलता है मेरे पास 20-25 गाय है जयपुर नगर निगम हैरिटेज में कार्यरत वेटनरी डाक्टर रणवीर चौधरी हम लोगों को आये दिन परेशान करता है तथा हमारी गायों को नगर निगम गोशाला में पकडकर नहीं ले जाने की एवज में 60 हजार रूपये प्रतिमाह की मांग कर रहा है रिश्वत नहीं देने पर और अन्य लोगों से भी उनकी पशुओं की संख्या के अनुसार रिश्वत की मांग कर रहा है रिश्वत नहीं देने पर हमारी गायों को वो पकडकर गोशाला ले जाने की धमकियां दे रहा है श्री रणवीर चौधरी से हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है और न कोई रंजीश है उससे हमारा कोई लेन देन भी नहीं है रिपोर्ट करता हूं की कानूनी कार्यवाही करे। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन तथा मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया गया, जिसका ट्रेप कार्यवाही से पूर्व सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री रमजान कानि. 466 को तलब कर परिवादी से परिचय करवाया गया तथा उक्त कानि० से कार्यालय से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मंगवाया जाकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर का खाली होना सुनिश्चित किया गया तथा एक खाली मेमोरी कोर्ड (सेन डिस्क कम्पनी का 16 जीबी) मंगवाया जाकर मेमोरी कार्ड के खाली होना सुनिश्चित कर उसे विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया की परिवादी को आवश्यक समझाईस की गई। तत्पश्चात परिवादी एवं रमजान अली कानि० को मामले की गोपनीयता की आवश्यक हिदायत कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया जाकर मामले का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई वार्ता को सुनने पर संदिग्ध अधिकारी तथा परिवादी के मध्य परिवादी की गायों के सम्बंध में वार्ता करना तथा संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी की गायों को नहीं पकड़ने के एवज में रिश्वत प्राप्त करने हेतु सहमत होना पाया गया है। परन्तु उक्त वार्ता में संदिग्ध अधिकारी द्वारा कितनी रिश्वत राशि की मांग परिवादी से की जा रही है यह स्पष्ट नहीं है जिसके बारे में परिवादी ने बताया कि मैंने दिनांक 12.12.2024 को संदिग्ध अधिकारी के मांगने पर उसको 20,000/- रूपये दे दिये थे इसलिये वह मुझसे अब 20,000/- रूपये ओर प्राप्त करना चाहता है। जिस पर परिवादी को आईन्दा पुनः संदिग्ध अधिकारी से वार्ता कर स्पष्ट सत्यापन करने हेतु कहा गया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कानि० श्री रमजान अली नं0 466 से सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया। दिनांक 15.12.2024 को परिवादी द्वारा सम्पर्क करने पर कानि० श्री रमजान अली को परिवादी के पास भेजकर सत्यापन करवाया गया। सत्यापन से सदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी से उसकी गायों को पकडकर गौशाला में नहीं लेकर जाने की एवज में 40,000/- रूपये प्राप्त करने पर सहमत होकर 20,000/- रूपये पूर्व में प्राप्त करने की स्वीकारोक्ति देकर 20,000/- रूपये की मांग करना पाया गया। जिस पर परिवादी को कलदिनांक 16.12.2024 को संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत की गई। दिनांक 16.12.2024 को परिवादी की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही हेतु पूर्व से तलबिदा स्वतंत्र गवाहान श्री नरेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री बजरंग लाल यादव, उम्र 27 साल निवासी- 51, डागरो की ढाणी, दम्बा का बास, आलीसर, तह. चौमू, जयपुर हाल कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, कार्यालय क्षेत्रिय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, वीकेआई, सीकर रोड, जयपुर एवं श्री राकेश कुमार मीणा पुत्र श्री नारायण मीणा, उम्र 28 साल निवासी- ग्राम कचनार, तह. मौजमाबाद, जिला दूदू हाल कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता, कार्यालय क्षेत्रिय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, वीकेआई, सीकर रोड, जयपुर उपस्थित आये। जिस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान को गोपनीय ट्रेप कार्यवाही के आयोजन के बारे में अवगत कराकर परिवादी श्री विकम गुर्जर से परिचय करवाकर गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह के तौर पर उपस्थित रहने बाबत सहमति चाही गई तो दोनों ही स्वतंत्र गवाहान ने स्वेच्छा से अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। जिस पर दोनों स्वतत्र गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को दिखाया तथा पढ़ाया गया। तत्पश्चात दोनों गवाहान से परिवादी की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी को संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि के बारे में कहा गया तो परिवादी ने अपने 500-500 रूपये

के 40 नोट कुल 20,000/- रूपये निकाल कर प्रस्तुत किये। तत्पश्चात् उक्त समस्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित कर स्वतंत्र गवाहान से मिलान करवाया गया। कानि० श्री योगेश शर्मा नं0 202 से कार्यालय की आलमारी में रखी हुई फिनॉफ्थलीन पावडर की शीशी मंगवाई जाकर उपस्थित स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के समक्ष परिवादी द्वारा प्रस्तुत संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि के समस्त नोटों पर अच्छी तरह से फिनॉफ्थलीन पावडर लगवाया जाकर उपस्थितगणों को फर्द दृष्टान्त की कार्यवाही की आवश्यक समझाईस करवाई गई। उक्त कार्यावाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पावडर मूर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। मोटरसाईकिल नम्बर आरजे 08 1एम 7845 को लेकर रवाना हो गया। जिस पर हमराहियान जाब्ते को परिवादी श्री विकम गुर्जर पर नजर रखते हुये उसके पीछे-पीछे रहने की हिदायत की गई। कुछ ही दूरी पर जाकर परिवादी ने अपनी मोटरसाईकिल रोक दी तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं हमराहियान जाब्ते ने भी अपने-अपने वाहन को परिवादी के वाहन से दूरी बनाते हुये रोड के किनारे खडा कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कानि० श्री रमजान अली के साथ परिवादी के पास पहुंचा। परिवादी ने बताया कि संदिग्ध अधिकारी पिंक स्क्वायर के सामने खडा हुआ है तथा पिंक स्क्वायर इस गली से निकले ही सामने के रोड पर स्थित है। जिस पर सरकारी वाहनों तथा परिवादी के वाहन को पिंक स्क्वायर के सामने स्थित रोड के किनारे पर खडा करवाकर परिवादी को पुनः आवश्यक हिदायत की गई तथा उपरोक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान तथा हमराहियान जाब्ते को अपनी-अपनी उपस्थिति का छुपाव करते हुये परिवादी के इर्द-गिर्द रहने की हिदायत की गई। परिवादी को संदिग्ध द्वारा रिश्वत की मांग करने पर रिश्वत राशि प्रदान करने की हिदायत कर कानि० श्री रमजान अली से विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द करवाया गया। तत्पश्चात् परिवादी को उसकी मोटरसाईकिल से संदिग्ध अधिकारी से वार्ता करने हेतु रवाना किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान जाब्ता मय स्वतंत्र गवाहान भी अपनी-अपनी उपस्थिति का छुपाव करते हुये परिवादी के पीछे-पीछे पिंक स्क्वायर मॉल के सामने पहुंचकर परिवादी के इर्द-गिर्द रहकर परिवादी के पूर्व निर्धारित इशारे के इंतजार में मूकीम हुए। इसके पश्चात् उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री विकम गुर्जर ने पिंक स्क्वायर मॉल, आदर्श नगर के सामने, रोड के किनारे पर खड़े वाहन आरजे 41 टीए 1032 के पिछले फाटक के पास में खडे व्यक्ति से वार्ता करते हुये अपने सिर पर हाथ फेरकर पूर्व निर्धारित ईशारा करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गवाहान एवं हमराहियान जाब्ते को साथ लेकर परिवादी के पास पहुंचा, जहां पर परिवादी ने पूर्व से सुपुर्दशुदा विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्रस्तुत किया, जिसे प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा। तत्पश्चात् परिवादी ने उक्त वाहन आरजे 41 टीए 1032 के पीछे के खुले हुये फाटक के पास में खडे हुये व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यह ही श्री रणवीर सिंह, डाक्टर है। जिसने अभी मुझसे हमारे बाहर घुमते हुये पालतु पशुओं को पकडकर नगर निगम की गौशाला में नहीं लेकर जाने की एवज में 20.000/- रूपये की रिश्वत प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जैकेट के दायीं जेब में रखे है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान तथा हमराहियान जाब्ते के समक्ष उक्त वाहन के पीछे के फाटक के पास में खडे व्यक्ति को अपना परिचय देकर नाम पता पूछा तो उसने घबराते हुये अपना नाम श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री रामेश्वर लाल उम्र 37 साल निवासी मकान नम्बर 30, आशुतोष नगर, वार्ड नम्बर 16, पुलिस थाना चौमू, जयपुर हाल पशु चिकित्सक, पशु प्रबंधन शाखा, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर होना बताया। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी की ओर ईशारा कर उक्त सदिग्ध श्री रणवीर सिंह ने पूछा की आपने अभी-अभी इनसे कोई रूपये लिये है तो संदिग्ध श्री रणवीर सिंह ने बताया कि मैंने इनसे अभी उधार दिये हुये रूपये लिये है। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी ने बताया कि नहीं यह झूठ बोल रहे है मैंने इनसे कभी कोई राशि उधार नहीं ली थी। इन्होंने मुझसे हमारे बाहर घुमते हुये पालतु पशुओं को पकडकर नगर निगम की गौशाला में नहीं लेकर जाने की एवज में रिश्वत ली है। जिस पर पुनः संदिग्ध अधिकारी श्री रणवीर सिंह को उक्त रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछा तो वह चुप हो गया। जिस पर संदिग्ध अधिकारी श्री रणवीर सिंह को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पास में खडी गाडी नम्बर आरजे 41 टीए 1032 के सम्बंध में पूछने पर बताया कि यह नगर निगम से अनुबंधित गाडी है जो हमें राजकार्य हेतु आवंटित हुई है । तत्पश्चात् परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि के लिये ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर वहीं पर सड़क के किनारे ही एक साफ पानी की बोतल मंगवाई जाकर दो साफ कांच केगिलासों में भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर प्रक्रियानुसार मिश्रण तैयार कर उपस्थितगणों को दिखाया गया। मौके पर उपस्थित सभी ने उक्त मिश्रण को रंगहीन होना बताया। इसके बाद एक गिलास के मिश्रण में आरोपी श्री रणवीर सिंह, पशु चिकित्सक के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर चिटचस्पा कर मार्क R-1 व R-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार दूसरे गिलास के तैयारशुदा मिश्रण में आरोपी श्री रणवीर सिंह, पशु चिकित्सक के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सीलचिट कर मार्क L-1 व L-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर बाद शील्डमोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी के बताये अनुसार आरोपी श्री रणवीर सिंह, पशु चिकित्सक के पहने हुये जैकेट की दाहिनी जेब की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री राकेश कुमार मीणा, कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता से जामा तलाशी लिवाई गई तो आरोपी के पहने हुये जैकेट के दाहिनी जेब से 500-500 रूपयें के नोट तथा एक कपडे का रूमाल बरामद होना पाया गया

। जिसे स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के कुल 40 नोट कुल 20,000/- रूपये (भारतीय चलन मुद्रा के) बरामद हुये। दोनों स्वतंत्र गवाहान से उक्त बरामदा नोटों के नम्बर चैक करवाकर उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान फर्द पेशकशी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो सभी नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये। बरामदशुदा 20,000/- रूपये को एक सफेद कागज में सील मोहर करवाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। बरामदा रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाह श्री राकेश कुमार मीणा को सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कर हिदायत मुनासिब की गई। तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, उक्त घोल को हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् आरोपी श्री रणवीर सिंह की मौके पर पहनी हुई जैकेट को उतरवाया जाकर उक्त कांच के गिलास के घोल में आरोपी की उतरवायी गई जैकेट की दाहिनी जेब को उलटवाकर गिलास में सोडियम कार्बोनेट के तैयार घोल में डुबोकर नियमानुसार धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सीलचीट चस्पा कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क J-1, J-2 अंकित किया गया। उसके बाद आरोपी की जैकेट की दाहिनी जेब को सुखाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जैकेट तथा उक्त जैकेट की दाहिनी जेब से बरामद कपडे की रूमाल को एक कपड़े की थैली में सीलमोहर कर मार्क J अंकित कर पैकेट पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को सरसरी रूप से चलाकर सुना गया तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। मौके पर उपस्थित वाहन सं० आरजे 41 टीए 1032 के चालक को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना तथा हमराहियान का परिचय देकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री प्रीतम सिंह जाखड पुत्र श्री बिड्दीचन्द जाट उम्र 35 साल निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमू जिला जयपुर हाल प्राईवेट टेक्सी चालक मोबाईल नम्बर [redacted] होना बताया। जिसको उपरोक्त वाहन के सम्बंध में पूछने पर उसने बताया कि यह वाहन मेरा स्वयं का है। दिनांक 01.12.2024 से मैंने इसे अनुबंध पर नगर निगम हैरिटेज में लगा रखा है जिसको मैं ही चलाता हूं। श्री प्रीतम सिंह ने आरोपी श्री रणवीर सिंह को ओर इशारा कर बताया अभी मेरे वाहन को श्री रणवीर सिंह जी ही काम में ले रहे थे। ये तीन दिन पहले भी यही पर इसी लडके से मिलने के लिये आये थे। तब मैं ही गाडी लेकर आया था। उपरोक्तकार्यवाही की विभागीय पैनासोनिक कैमरे से श्री हिमांशु शर्मा, वरिष्ठ सहायक से प्रावधानानुसार विडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई। चूंकि मौके पर लोगों की आमद रफत अत्यधिक होकर भीड-भाड ज्यादा होने से अग्रिम कार्यवाही मौके पर सम्भव नहीं होने के कारण मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। जिस उच्चाधिकारियों द्वारा अग्रिम कार्यवाही ब्यूरो मुख्यालय पर पहुंचकर करने के निर्देश दिये गये। जिस पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही ब्यूरो मुख्यालय पर पहुंचकर करने हेतु प्रकरण में लिये गये धोवन सेम्पलों तथा जब्तशुदा आर्टिकल्स एवं विभागीय डीजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ट्रेप बॉक्स में रखकर ट्रैप बॉक्स को सरकारी वाहन में रखवाया गया। आरोपी श्री रणवीर सिंह हमराहियान जाब्ते के साथ सरकारी वाहन में बैठाकर बाद हिदायत ब्यूरो मुख्यालय हेतु रवाना किया गया। वाहन सं० आरजे 41 टीए 1032 के चालक श्री प्रीतम सिंह जाखड के साथ स्वतंत्र गवाहान श्री राकेश कुमार मीणा तथा श्री नरेन्द्र यादव को उक्त वाहन के साथ ब्यूरो कार्यालय हेतु रवाना किया गया। मौके पर मोटरसाईकिल से आये हुये जाब्ते को भी ब्यूरो मुख्यालय पहुंचने की हिदायत कर रवाना किया गया। परिवादी को अपनी मोटरसाईकिल लेकर ब्यूरो कार्यालय पहुंचने की हिदायत कर रवाना किया गया। तत्पश्चात् उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार मौके से रवाना होकर रवानाशुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय सरकारी वाहन के ब्यूरो कार्यालय पहुंचा। जहां पर पूर्व में मौके से रवानाशुदा हमराहियान जाब्ता मय आरोपी श्री रणवीर सिंह के साथ उपस्थित मिले। जिस पर वाहन सं० आरजे 41 टीए 1032 को कार्यालय परिसर में सुरक्षित खडा करवाया गया। स्वतंत्र गवाह श्री राकेश कुमार मीणा द्वारा बरामद शिल्डचिट रिश्वत राशि 20,000 /- प्रस्तुत करने पर सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। ट्रैप बॉक्स को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया। ततपश्चात् कार्यालय में पहुंचकर आरोपी श्री रणवीर सिंह तथा परिवादी को आमने सामने कर आरोपी श्री रणवीर सिंह से परिवादी से ली गई रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछने पर आरोपी ने बताया कि इन्होंने मुझसे रूपये उधार लिये थे वो लिये है। जिस पर परिवादी ने बताया कि मैंने इनसे कोई रूपये उधार नहीं लिये है। हम कई लोग यहां पर पशु रखकर दुग्ध व्यवसाय कर रहे है। यह हमसे कई दिनों से हमारे बाहर घुमते हुये पालतु पशुओं को पकडकर नगर निगम की गौशाला में नहीं लेकर जाने की एवज में रिश्वत मांग कर परेशान कर रहे थे। इन्होंने दिनांक 10.12.2024 को मेरे से 20,000/- रूपये प्राप्त किये तथा अभी इन्होंने इसी काम के लिये मेरे से 20,000 /- रूपये प्राप्त किये है। आरोपी श्री रणवीर सिंह ने बताया कि मेरा पदस्थापन राजकीय पशु चिकित्सालय, भदाल में है परन्तु मुझे अभी राईजिंग राजस्थान के अन्तर्गत व्यवस्थार्थ नगर निगम हैरिटेज में लगा रखा है। मुझे तथा डाक्टर मयंक लाम्बा को नगर निगम हैरिटेज क्षेत्र में लगाया हुआ है। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री रामेश्वर लाल उम्र 37 साल निवासी मकान नम्बर 30, आशुतोष नगर, वार्ड नम्बर 16. पुलिस थाना चौमू जयपुर हाल पशु चिकित्सक, पशु प्रबंधन शाखा, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर द्वारा लोकसेवक होते हुये परिवादी से उसके तथा अन्य परिचितों के बाहर घुमते हुये पालतू पशुओं को पकडकर नगर निगम की गौशाला में नहीं लेकर जाने की एवज में बतौर अनुचित लाभ 20,000/- रूपये प्राप्त करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। उक्त

कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि पृथक से मूर्तिब कर शामिल मिसल की गई। तत्पश्चात उपरोक्त मौतबीरान के रूबरू आरोपी श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री रामेश्वर लाल उम्र 37 साल निवासी मकान नम्बर 30, आशुतोष नगर, वार्ड नम्बर 16, पुलिस थाना चौमू, जयपुर हाल पशु चिकित्सक, पशु प्रबंधन शाखा, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के प्रावधानानुसार लोकसेवक होते हुये परिवादी से उसके तथा उसके परिचितों के बाहर घुमते हुये पालतू पशुओं को पकडकर नगरनिगम की गौशाला में नहीं लेकर जाने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 12.12.2024 एवं रिश्वत मांग सत्यापन के कम में दिनांक 15.12.2024 को परिवादी से 40,000/- रूपये बतौर अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु सहमत होकर 20,000 /- रूपये परिवादी से पूर्व में प्राप्त करने की सहमति देना तथा 20,000/- रूपये की ओर मांग करना तथा आज दिनांक 16.12. 2024 को परिवादी से उक्त कार्य की एवज में 20,000 /- रूपये बतौर अनुचित लाभ प्राप्त करने से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी श्री रणवीर सिंह, पशु चिकित्सक, पशु प्रबंधन शाखा, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर को उसके जुर्म से आगाह कर, सवैधानिक अधिकारो से अवगत कराया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात् उपरोक्त गवाहान के रूबरू आरोपी श्री रणवीर सिंह की जामा तलाशी में बरामद मोबाईल आईफोन-15 का अवलोकन करने पर मोबाईल फोन की कॉनटेक्ट लिस्ट में परिवादी का नाम Vikram Cow के नाम से सेव होना पाया गया। आईफोन मोबाईल का व्हाटसएप खोलने पर परिवादी के Vikram Cow के नाम से सेव नम्बर को खोलने पर उसमें एक-दूसरे को काफी व्हाटसएप कॉल किया जाना तथा गौवंश से सम्बन्धित विभागीय आदेश परिवादी को भेजना पाया गया। आरोपी के मोबाईल में सेव परिवादी के मोबाईल नम्बर की व्हाटसएप चैट/कॉल के कुल 28 फोटोग्राफस श्री कमलेश हैडकानि. 74 के मोबाईल से लिये गये। फोटोग्राफ्स के पीडीएफ बनाया जाकर विभागीय कम्प्यूटर की सहायता से प्रिन्ट निकलवाये सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। तत्पश्चात् आरोपी के उक्त मोबाईल फोन प्रकरण में बतौर वजह सबूत होने से कब्जा एसीबी लिया जाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सीलमोहर कर मार्का M अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात् परिवादी तथा दोनो गवाहान समक्ष दिनांक 12.12.2024 रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान हुई वार्ता तथा रिश्वत मांग सत्यापन के कम में दिनांक 15.12.2024 को परिवादी तथा आरोपी के मध्य व्हाट्स कॉल पर हुई वार्ता तथा दिनांक 16.12.2024 को परिवादी तथा आरोपी के मध्य व्हाट्स कॉल पर हुई वार्ता तथा रिश्वत आदान-प्रदान के समय परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्शन तैयार की जाकर सभी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात कार्यालय से चार खाली सी. डी.आर. की व्यवस्था की जाकर उन्हें कम्प्यूटर के जरिये खाली होना सुनिश्चित किया गया। दोनों गवाहान एवं परिवादी के समक्ष डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में दर्ज रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं सत्यापन के कम में परिवादी तथा आरोपी के मध्य मोबाईल फोन पर हुई वार्ता तथा आदान-प्रदान के समय परिवादी व आरोपी के बीच हुई वार्ताओं की विभागीय कम्प्यूटर की सहायता से चार सीडियां तैयार की जाकर मार्का अंकित कर सीडियों को पृथक-पृथक कपडें की थेलियों में डालकर शील्डमोहर कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड को एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर माचिस की डिब्बी को सफेद कपडे की थेली में रखकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर कर थैली पर मार्क SD अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। गिरफताशुदा आरोपी से पूछताछ कर पूछताछ नोट शामिल पत्रावली किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा एवं हालात मौका मूर्तिब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। दौराने कार्यवाही की गई विडियो केमरे से विडियो रिकॉर्डिंग के मेमोरी कार्ड को कैमरे से निकालकर नियमानुसार क्लोन मेमोरी कार्ड प्रति तैयार कर मार्का अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर कर फर्द मूर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। जब्तशुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाया गया। अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री रामेश्वर लाल उम्र 37 साल निवासी मकान नम्बर 30, आशुतोष नगर, वार्ड नम्बर 16, पुलिस थाना चौमू, जयपुरहाल पशु चिकित्सक, पशु प्रबंधन शाखा, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के प्रावधानानुसार लोकसेवक होते हुये परिवादी से उसके तथा उसके परिचितों के बाहर घुमते हुये पालतू पशुओं को पकडकर नगर निगम की गौशाला में नहीं लेकर जाने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 12.12.2024 एवं रिश्वत मांग सत्यापन के कम में दिनांक 15.12.2024 को परिवादी से 40,000/- रूपये बतौर अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु सहमत होकर 20,000/- रूपये परिवादी से पूर्व में प्राप्त करने हेतु सहमति देना तथा 20,000/- रूपये की ओर मांग करना तथा आज दिनांक 16.12.2024 को परिवादी से उक्त कार्य की एवज में 20,000/- रूपये बतौर अनुचित लाभ प्राप्त करने से उक्त आरोपी श्री रणवीर सिंह के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। अतः आरोपी श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री रामेश्वर लाल उम्र 37 साल निवासी मकान नम्बर 30. आशुतोष नगर, वार्ड नम्बर 16. पुलिस थाना चौमू जयपुर हाल पशु चिकित्सक, पशु प्रबंधन शाखा, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित है। (संदीप सारस्वत) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विशेष अनुसंधान ईकाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

जयपुर..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री संदीप सारस्वत,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,विशेष अनुसंधान ईकाई,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री रामेश्वर लाल उम्र 37 साल निवासी मकान नम्बर 30, आशुतोष नगर, वार्ड नम्बर 16, पुलिस थाना चौमू, जयपुर हाल पशु चिकित्सक, पशु प्रबंधन शाखा. नगर निगम हैरिटेज, जयपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती कविता यादव, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.डब्ल्यू. जयपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 188 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1632-35 दिनांक 18-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर। 2 -संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस- प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KAVITA YADAV **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[?]/12/2024

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	02/10/1987				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)